बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

(डि० एम० शर्मा)

अध्यक्ष ~~बैद्यनाथ प्रसाद~~ (~~बी. एन. प्रसाद~~) महासचिव विपिन कुमार सिन्हा (बी. के. सिन्हा)	दूरभाष अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R) महासचिव : 2286093 (R) उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R) कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)	उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा अर्जुन प्रसाद संयुक्त सचिव सहादत हसन मन्टू रजनीश कुमार सिंह कोषाध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या 8 | दिनांक 13/4/05

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः- रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति देने एवं कालावधि को क्षांत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में संघ के शिष्टमंडल के साथ जब भी भवदीय एवं कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों के साथ साक्षात्कार हुआ तो सरकार का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ~~अनकूल~~ आकृष्ट किया गयाः-

1- बिहार एवं झारखण्ड के बंटवारे का बहाना बना कर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति चार वर्षों तक लम्बित रखा गया, पुनः संविधान के 85वें संशोधन के आलोक में ग्रेडेशन सूची बनाने में एक वर्ष का विलम्ब हुआ । फलस्वरूप प्रोन्नति में 5 वर्षों का विलम्ब हुआ है जिसमें पदाधिकारियों का दोष नहीं है।

2-बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष-वार रिक्ति की गणना कर रिक्ति की तिथि से प्रोन्ननति दी गई, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को ~~अ~~ अधिसूचना की तिथि से प्रोन्नति दी गई, जो अपने आप में विरोधाभास है। सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई ।

विदित हो कि विभिन्न वेतनमानों में प्रोन्नति के लिये कार्मिक विभाग के आदेश के आलोक में कालावधि निर्धारित है, परन्तु विलम्ब से प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप कालावधि पूरा नहीं होने के कारण उच्चतर पदों की रिक्ति होने के बावजूद पदाधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है।

अतः संघ यह मांग करती है कि विशेष परिस्थिति में कालावधि क्षांत करते हुए उच्चस्थ पदों भरने हेतु सरकार कार्रवाई करें तथा बिहार आरक्षी सेवा के अनुरूप वर्ष-वार रिक्ति निर्धारित कर रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति की तिथि को पुनः निर्धारित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(signature) 13/4/05 — (signature) 13/4/05

(विपिन कुमार सिंहा)
महा सचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
कार्यकारी अध्यक्ष